न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–18/2023–24

प्रथम पक्षः–मो0 शाहिद, मौजा–नावाडीह डमौल, थाना–पत्थलगड्डा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–मो0 अमीन एवं अन्य, ग्राम–नावाडीह, थाना–पत्थलगड्डा, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

–आदेश–

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–मो0 शाहिद, पिता–मो0 गुलाम रसुल, मौजा–नावाडीह डमौल, थाना–पत्थलगड्डा, जिला–चतरा के अपील आवेदन के आलोक में प्रारंभ की गई। इस वाद से संबंधित विवादित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
नावाडीह डमौल	216	3699	0.40 एकड़

2. इस वाद की सुनवाई के क्रम में प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन, लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय को बताया गया किः–

(2.1) यह कि मामला मौजा–नावाडीह डमौल, हल्का–10, थाना सं0–52, अंचल–पत्थलगड्डा अन्तर्गत खाता सं0–216, प्लॉट सं0–3699, रकबा–0.40 एकड़ भूमि से संबंधित है। प्रश्नगत भू–खण्ड आवेदक के पिता–गुलाम रसुल वल्द सहबली मियां के नाम से बंदोबस्ती पर्चा दिनांक–18.03.1983 में वाद सं0–54/1982–83 के माध्यम से प्राप्त है। भूमि पर्चा से प्राप्त होने के उपरांत से ही लगान रसीद वर्ष–2010–11 तक निर्गत है तथा दखल–कब्जा में है एवं फसल लगाकर अपने मसरफ में लाते आ रहे है।

(2.2) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड की चौहद्दी : उत्तर में जंगल–झाडी, दक्षिण–रास्ता, पूरब–जंगल एवं पश्चिम–रास्ताहै।

(2.3) यह कि द्वितीय पक्ष फर्जी एवं बनावटी कागजात के आधार पर प्रश्नगत भू–खण्ड पर कब्जा करना चाहते है। इस बाबत पूर्व में अनुमण्डल न्यायालय, सिमरिया में CRPC की धारा–144 के अन्तर्गत वाद सं0–22/2023–24 प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया था। इस वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित कथन दाखिल कर न्यायालय को बताया कि बोधन मिया, पिता–गुजर मियाँ, साकिन–नावाडीह डमौल के द्वारा 1.14 एकड़ भूतपूर्व जमीनदार से दिनांक–19.08.1940 को प्राप्त किया गया था तथा बोधन मियाँ के नाम से लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। साथ ही प्रश्नगत भू–खण्ड के आंशिक भू–भाग पर आवासीय मकान भी बना हुआ है, जिसमें द्वितीय पक्ष के सदस्यगण वसोवास कर रहे है, जबकि वर्त्तमान वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित कथन के पारा–11 में बताया गया है कि जिस भूमि पर विपक्षीगण का घर मकान बना हुआ था, भूलवश उसी भूमि का बंदोबस्ती पर्चा वाद सं0–45/1988–89 के द्वारा बिरूआ भुईयाँ के नाम से रकबा–0.80 एकड़ तथा रकबा–0.14 एकड़ भूमि सेटलमेंट पर्चा आनंदी भुईयाँ के नाम से निर्गत है। इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजात बनावटी एवं फर्जी

Scanned with OKEN Scanner

है । इससे पूर्व निर्गत पर्चा के विरूद्ध आज तक कोई भी आवेदन पर्चा रद्द करवाने हेतु किसी भी न्यायालय में द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। वाद तत्काल खारीज करने योग्य है।

(2.4) प्रश्नगत भू–खण्ड पर प्रथम पक्ष का 42 वर्षो से शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। न्यायालय से अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष की चल रही अवैध जमाबंदी को निरस्त करते हुए प्रथम पक्ष की जमाबंदी को यथावत रखने की कृपा करे।

(2.5) यह कि प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज दाखिल किये है :– 1. बंदोबस्ती पर्चा की छायाप्रति 2. ऑफलाईन पंजी-II की सत्यापित प्रति की छायाप्रति 3. सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति 4 भूमि नक्शा का छायाप्रति।

3. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित कथन एवं बहस दाखिल कर इस न्यायालय को यह अवगत कराया गया है कि :–

(3.1) यह कि प्रथम पक्ष–मो शाहिद के द्वारा जानबूझ एवं सब कुछ जानते हुए परेशान करने के नियत से द्वितीय पक्ष की वैध जमाबंदी को निरस्त करने हेतु आवेदन दिया गया है।

(3.2) यह कि प्रथम पक्ष जिस बंदोबस्ती पर्चा वाद सं0–54/1982–83 के आधार पर प्रश्नगत भू–खण्ड पर दावा कर रहे है, जो बनावटी एवं जाली है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत बंदोबस्ती पर्चा पर किसी भी पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर दर्ज नहीं है और न ही नक्शा संलग्न है। प्रश्नगत भू–खण्ड अगर प्रथम पक्ष को 1982–83 में प्राप्त है, तो अबतक दखल–कब्जा में क्यों नहीं किया गया है।

(3.3) यह कि प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में CRPC की धारा–144 के अन्तर्गत वाद सं0–22/2023–24 अनुमण्डल न्यायालय, सिमरिया में संधारित किया गया था, जिसमें आदेश पारित किया गया था कि मामला हक–हकियत से संबंधित है। जिसका सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय है। फिर किस आधार पर प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया के न्यायालय में लाया गया।

(3.4) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड द्वितीय पक्ष को भूतपूर्व जमीनदार से मो0 आमीन के पूर्वज बोधन मियाँ, पिता–गुजर मियाँ को दिनांक–19.08.1940 को प्राप्त है तथा लगान रसीद निर्गत है तथा आंशिक भू–खण्ड पर मकान बना हुआ है।

(3.5) यह कि खाता सं0–216, प्लॉट सं0–2699, रकबा–0.80 एकड़ एवं प्लॉट सं0–3699, रकबा–0.14 एकड़ भूमि का पर्चा भूलवश बिरूआ भुईयाँ एवं आनंदी भुईयाँ के नाम से निर्गत है। पर्चाधारी बिरूआ भुईया एवं आनंदी भुईयाँ को जब पता चला की प्रश्नगत भू–खण्ड का पर्चा भूलवश हमारे नाम से निर्गत हो गया है तब उनके द्वारा सादा केवाला के माध्यम से हामिद मियाँ, पिता–बोधन मियाँ एवं अन्य को दिनांक–13.10.1998 को दे दिया गया।

(3.6) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड पर प्रथम पक्ष का कभी भी दखल–कब्जा नहीं रहा है फिर भी बनावटी एवं जाली बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर स्वामित्व का दावा किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अनुरोध है कि प्रथम पक्ष के आवेदन को खारीज करते हुए द्वितीय पक्ष की जमाबंदी को यथावत रखने की कृपा करें।

Scanned with OKEN Scanner

(3.7) द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये : 1. एकरारनामा की छाया प्रति 2. पंचायत नामा की छायाप्रति 3. ब्च्ब् की धारा–144 वाद सं0–22/2023–24 में पारित आदेश की छायाप्रति 4. पर्चा श्री विरवा भुईयाँ मूल प्रमाण–पत्र सं0–634397, तिथि–21.03.1988 ई0 की छायाप्रति 5. आनन्दी भुईयाँ पर्चा प्रमाण–पत्र सं0–634898, तिथि–21.06.1988 की छायाप्रति 6. स्वीकृत पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा तिथि– 18.11.1960 की छायाप्रति 7. फर्द रिपोर्ट अमीन तिथि–11.03.1940 की छायाप्रति 8. ब–हुक्म जनाब मैनेजर साहब बहादुर, रामगढ़ राज पदमा तिथि 19.08.1940 ई0 हुकुमनामा बना बोधन मियाँ की छायाप्रति 9. खालसा रसीद बुक नं0– ५43–283 की छायाप्रति 10. खालसा रसीद बुक नं0–५44 दिनांक–12.04.44 की छायाप्रति तथा रसीद मालगुजारी–918034, दिनांक–06.02.1954 की छायाप्रति।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन/दावा जाँच हेतु अंचल अधिकारी, पत्थलगड्डा एवं ईटखोरी से राजस्व कागजातों यथा लगान रसीद, बंदोबस्ती पर्चा इत्यादि की जांच करवाई गई, जिसमें निम्न बिन्दु प्रकाश में आया।

4. प्रश्नगत भू–खण्ड से संबंधित अंचल अधिकारी, ईटखोरी के पत्रांक–188, दिनांक–29.04.2025 एवं पत्रांक–221, दिनांक–22.05.2025 के द्वारा निम्न प्रतिवेदन दिया गया है :–
   I. अंचल कार्यालय में उपलब्ध वर्ष–1982–83 के बन्दोबस्ती पंजी में गुलाम रसुल वल्द शहबली मियाँ, ग्राम–नावाडीह डमौल, पत्थलगड्डा का नाम दर्ज नहीं पाया गया।
   II. वर्ष–1995–96 के लगान रसीद भण्डार पंजी से मिलान करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 1995–96 में लगान रसीद सं0–057351–057400 हल्का सं0–10 ग्राम–सिंधानी के लिए निर्गत किया गया है।
   III. भूदान पर्चा वाद सं0–45/1988–89, मौजा–बाँय, खाता नं0–01, प्लॉट नं0–699, रकबा–0.40 एकड़ भूमि नान्दो रविदास, पिता–मेघराज रविदास, ग्राम–बाँय के नाम से निर्गत है। बिरवा भुईयाँ का नाम अंकित नहीं है।
   IV. भूदान पंजी वर्ष–1988–89 का जाँच किया गया, आनन्दी भुईयाँ का नाम दर्ज नहीं पाया गया।

(4.1) प्रश्नगत भू–खण्ड से संबंधित अंचल अधिकारी, पत्थलगड्डा के पत्रांक–202, दिनांक–07.05.2025 के द्वारा निम्न प्रतिवेदन दिया गया है :–
   I. प्रश्नगत भू–खण्ड सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म जंगल है।
   II. प्रश्नगत भू–खण्ड खेसरा सं0–3699 की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी–II में दोनों पक्षों में से किसी के नाम से दर्ज नहीं है।
   III. खेसरा नं0–3699 में चल रहे जमाबंदी की विवरणी:
   (क) बिलेश्वरी देवी पति–श्यामलाल पासवान, खाता सं0–216, प्लॉट सं0–3699, रकबा–0.20 एकड़ पृष्ठ सं0–193/9 है।
   (ख) खेदन भुईयाँ, पिता–छठन भुईयाँ, खाता सं0–216, प्लॉट सं0–3699, रकबा–01.35एकड़ पृष्ठ सं0–72/6 है।
   (ग) श्यामलाल दुसाध, पिता–खुशीचरण दुसाध, खाता सं0–216, प्लॉट सं0–3699 एवं 3884 रकबा–06.25एकड़ पृष्ठ सं0–433/2 है।

Scanned with OKEN Scanner

IV. द्वितीय पक्ष मो0 आमीन के नाम से ऑनलाईन पंजी-II में जमाबंदी कायम नहीं है।

5. उपरोक्त परिपेक्ष्य में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरान्त एवं अंचल अधिकारी, पत्थलगड्डा एवं ईटखोरी के प्रतिवेदन के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजात, संदेहास्पद है। प्रश्नगत भूमि का किस्म गैरमजरूआ खास किस्म जंगल है।

अतएव अंचल अधिकारी, पत्थलगड्डा को निदेश दिया जाता है कि मौजा–नावाडीह डमौल खाता सं0–216, प्लॉट सं0–2240, रकबा–0.57 एकड़ भूमि का BLR Act की धारा 4(h) के तहत् प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/05/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

23/05/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by Sunny Raj
Date: 2025.05.24 14:49:07 +05:30
Location: 192.168.1.5

Scanned with OKEN Scanner